



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022020-216174
CG-DL-E-15022020-216174

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]
No. 628]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2020/माघ 24, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2020/MAGHA 24, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

का.आ. 687(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को अल्युमीनियम फॉयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश दिनांक 17.08.2020 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान (1)	भारतीय मानक (2)	भारतीय मानक का शीर्षक (3)
अल्युमीनियम फॉयल	आईएस15392:	फूड पैकेजिंग के लिए अल्युमीनियम और अल्युमीनियम ऐलाइड बेयर फॉयल

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा.सं. पी-29014/68/2017-एलईआई]
मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2020

S.O. 687(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Aluminium Foil (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force with effect from 17.08.2020.

2. Compulsory use of Standard Mark.— The goods or articles specified in column (1) of the Table annexed below shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the aforesaid Table.

TABLE

Goods or article (1)	Indian Standard (2)	Title of Indian Standard (3)
Aluminium Foil	IS: 15392	Aluminium and Aluminium Alloy Bare Foil for Food Packaging.

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F.No. P-29014/68/2017-LEI]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.